



2026:AHC-LKO:19730

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438

दंड प्रक्रिया संहिता संख्या - 1129 सन 2022

अदीब खान परवीन

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	श्यामेन्द्र सिंह, मीना सिंह (कठायत), तेज सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, मोहम्मद शादाब खान

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

संशोधित सूची में सुनवाई के लिए मामले की पुकार लगायी गई। आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 139 / 2022 अंतर्गत धारा 328, 384, 420, 506 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज, जिला लखनऊ में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया गया है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 15.07.2022 के आदेश द्वारा आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-

"हमने आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मीना सिंह (कथायत), राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार शाही और प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद शादाब खान को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 139 / 2022 अंतर्गत धारा 328, 384, 420, 506 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन ठाकुरगंज, जिला लखनऊ में अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।"

अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से लगभग 10-11 महीने पहले सूचनाकर्ता को मोबाइल नंबर 7054578830 से कॉल आया था। इसके बाद आरोपी ने प्रथम सूचनाकर्ता को नियमित रूप से फोन करना शुरू कर दिया और उसे हुसैनबाद स्थित अपने घर पर मिलने के लिए फुसलाया। यह घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से लगभग 7-8 महीने पहले घटी थी। जब प्रथम सूचनाकर्ता उसके घर पहुंचा, तो आरोपी ने उसके पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और उसका एक अश्लील वीडियो बनाया। एक अन्य सह-आरोपी, मोहम्मद आमिर उर्फ कमांडो ने उसे वह वीडियो दिखाया और उससे पैसे वसूलने लगा। उसने प्रथम सूचनाकर्ता से दो बार 50,000 रुपये ले लिए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपये की मांग की।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट, आवेदक द्वारा 28.8.2021 को प्रथम सूचनाकर्ता के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 527 / 2021 का प्रतिवाद है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और यह प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रतिवाद है। आवेदक पूर्व अपराधी नहीं है, हालांकि उसके खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता ने आश्वासन दिया है कि आवेदक जांच में सहयोग करेगी, अन्यथा राज्य अंतरिम सुरक्षा रद्द करने के लिए उचित आवेदन कर सकता है।

सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि आवेदक दुराचारी महिला है और वह विभिन्न व्यक्तियों से जबरन वसूली करती रही है। आवेदक के खिलाफ एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज है।

मामले पर विचार करना आवश्यक है।

सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को प्रतिवाद दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है।

इसके बाद आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर उचित विचार करने और आवेदक पर लगे आरोपों और उसके पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के "सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली)- 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98" मामले में दिए गए निर्णय के मददेनजर, आवेदक को अंतरिम उपाय के रूप में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। आवेदक को दी जाने वाली अग्रिम जमानत से संबंधित भविष्य की स्थितियों का भी सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी-आवेदक **अदीबा खान परवीन** को उपरोक्त मामले में 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर तत्काल अंतरिम अग्रिम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, जो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/जांच अधिकारी/एस.एच.ओ./संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों पर:-

(i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगी;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगी जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी।

अतिरिक्त केस सूची में 8 सितंबर, 2022 को सूचीबद्ध करें।”

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को पेश करने के बाद आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। वह मुकदमे में सहयोग करने का वचन देती हैं और यदि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेंगी।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है और आवेदक द्वारा मुकदमे में सहयोग करने के वचन को भी ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 15.07.2022 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा को सर्वोच्च न्यायालय के सुशीला

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अग्रवाल बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) - 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98 मामले में दिए गए निर्णय के मददेनजर स्थायी घोषित किया जाता है।

उपरोक्त के मददेनजर, अग्रिम जमानत आवेदन को अनुमति दी जाती है।

[न्यायमूर्ति राजीव भारती]

मार्च 18, 2026

आरती/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।